सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/78

दर्ज तिथिः–24.07.2024

1. चोथूराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सीताराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोतीलाल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सांवरमल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गणेश कुमार पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मन्जू देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. खेत देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. सोना देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. कालू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. गंगा पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. बबलू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. माया पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. रामकुमार पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

13. ताराचन्द पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. रामेश्वर पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. गुडडी पुत्री परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. विशाल पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. विनित पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. प्रीति पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. सपना पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. पूनम पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. अंजू पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. भंवरलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. गिरधारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. गीता पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
25. सन्तोष पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. मीरा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
27. कमल पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
28. धोलू पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
29. मनीष पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
30. मोहित पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
31. जोनी पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
32. पूजा पुत्री सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

33. रामस्वरूप पुत्र सुमित्रा पुत्रीमनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
34. उप पंजीयक, चूरू तहसील व जिला चूरू
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

..... मुख्य प्रतिवादीगण

36. धन्नी पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
37. सन्तोष पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
38. कप्तान पुत्र तेजाराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
39. राकेश पुत्र तेजाराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
40. पतासी पत्नी महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
41. सुनिता पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
42. सन्जू पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
43. रेखा पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
44. रवि पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
45. आर्यन पुत्र महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
46. मूंगालाल पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
47. सुरेन्द्र पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
48. बिट्टू पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
49. ममता पुत्री भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

..... गौण प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विनगौतम सोलंकी
श्री भरतसिंह राठौड़

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

चोथूराम आदि बनाम घनश्याम आदि
2024 / 78
निर्णय दिनांकः—22.01.2026
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 22.01.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते घोषणा, चिरस्थायी निषेधाज्ञा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण, गौण प्रतिवादीगण द्वारा मुख्य संख्या 01 से 33 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 510 / 385 / 7.7269 हैक्ट. (30 बीघा 10 बिश्वा) वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू जिसमें से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट. (13 बीघा) दिनांक 03.06.1976 को जरिये बैनामा द्वारा क्रय की गई थी जिसका पंजीयन उप पंजीयन चूरू कार्यालय में करवाया गया है। क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व अधिकार मालिकाना निर्बाद्ध रूप से वादीगण व गोण प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है।
2. वादीगण, गोण प्रतिवादीगण व मुख्य प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 510 / 385 / 7.7269 हैक्ट. (30 बीघा 10 बिश्वा) में से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट. (13 बीघा) वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू वादीगण व गोण प्रतिवादीगण की खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 से 33 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।
3. मुख्य प्रतिवादीगण के पिता व दादा दुर्गाराम की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 385 तादादी 51 बीघा 11 बिश्वा थी जिन्होनें हम प्रतिवादीगण व गोण प्रतिवादीगण के पिता व दादा जालूराम उर्फ नानूराम वल्द मालाराम जाति रेगर निवासीगण चूरू को दिनांक 03. 06.1976 को 13 बीघा जमीन जरिये बेचान एवं दिशा सहित विक्रय कर दी, हम वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के दादा व पिता जो कि कमाने खाने हेतु बाहर रहते थे वादीगण व गोण प्रतिवादीगण जो कि एक अनपढ़ भोले भाले मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं जिन्होनें तत्समय राजस्व कर्मचारियों को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रार्थना—पत्र भी दिया था मगर इसके बावजूद भी उसके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो पाया था जिसका पता चला तो वादीगण व गोण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय—पत्र की प्रमाणित प्रति कार्यालय से निकलवाई और उक्त दिनांक 19.07.2024 को हल्का पटवारी के पास विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए गया तो वहां पता चला कि उसकी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आज भी पूर्व स्वामी के नाम से ही दर्ज है तब वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी से कहा कि इसका इन्तकाल हमारे नाम दर्ज कर दो मगर हल्का पटवारी ने यह कहा कि विक्रय—पत्र काफी समय पहले का है। इसके लिए न्यायालय में दावा करके उक्त विक्रय—पत्र के आधार अपने नाम खातेदारी दर्ज करवानी होगी। विक्रय—पत्र की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न है।
4. उसके बाद प्रतिवादीगण के पिता व दादा दुर्गाराम पुत्र आसाराम के द्वारा एक अन्य विक्रय—पत्र दिनांक 06.04.1985 को क[illegible] जिसमें मूल खसरा नं. 385 है जिसके विक्रय—पत्र में दिशा बत[illegible] कारण खाता विभाजन अलग हो गया जिसका ख. नं. 511 / 385 तादादी [illegible] बीघा) वाके रोही ग्राम कड़वासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तहसील व जिला चूरू जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर अलग खाता कायम हो गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी व विक्रय—पत्र दावा हाजा के साथ संलग्न है।

5. हल्का पटवारी से वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ने जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि प्रतिवादी सं. 01 से 33 ने पूर्व विक्रेता दुर्गाराम पुत्र आसाराम के वारिसान ने उक्त कृषि भूमि का कपटपूर्वक इन्तकाल दर्ज करवा लिया और पैतृक इन्तकाल दर्ज करवाने की फिराक में है जिसमें उक्त कृषि भूमि का पैतृक इन्तकाल दर्ज करवाकर विक्रय पत्र, उपहार पत्र, हक त्याग पत्र आदि करवा सके। उप पंजीयक चूरू को बतौर पक्षकार बनाया गया है।

6. कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीण के पिता व दादा जालूराम उर्फ नानूराम द्वारा कीमतन क्रय की गई है जिसका उसने विधिवत रूप से विक्रय—पत्र निष्पादित व सम्पादित करवाकर कृषि भूमि का मौके पर भौतिक कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर लिया व विक्रय—पत्र निष्पादित करवाने के पश्चात् उसकी सूचना भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर दे दी थी परन्तु किसी कारणवश राजस्व कर्मचारियों ने उसके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया। जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी सं. 01 से 33 ने छल व बेईमानी से उस पर बैंक से विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी की प्रमाणित फोटो प्रति दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

7. वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 33 को कहा व कहलवाया कि वादीगण व गोण प्रतिवादीगण की कृषि भूमि पर उन्होनें जो बेईमानी व छलपूर्वक इन्तकाल दर्ज करवा लिया है वह निरस्त करवा देवें व हमारे साथ चलकर राजस्व विभाग में हमारे नाम का अंकन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवा देवें मगर प्रतिवादी संख्या 01 से 33 टाल—मटोल करते रहे एवम् आखिरकार दिनांक 19.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 से 33 ने ऐसा करने से साफ—साफ इन्कार कर दिया। वादीगण को साफ मना करने के कारण वादकारण तथा वाद—हेतुक वादीगण व गोण प्रतिवादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

8. निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से जानकारी होने ही दावा हाजा अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण की ओर से दावा व मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण व गोण प्रतिवादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के दादा व पिता जालूराम उर्फ नानूराम की विक्रय—पत्र के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि खसरा नं. 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट. (30 बीघा 10 बिश्वा) वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू को राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय—पत्र दिनांकित 03.06.1976 में खरीदशुदा कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट. (13 बीघा) के आधार पर व कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ही मालिक व स्वामी होने के कारण उन्हें उक्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 33 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर [illegible] नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया जावे एवम् हर्जा खर्चा [illegible] व गोण प्रतिवादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से 33 से दिलवा[illegible] हो अथवा दौराने सुनवाई दावा हो जावे वह भी दिल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

9. वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 33 की ओर से अधिवक्ता श्री भरतसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 36 ता 49 पर विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसमें प्रार्थी/वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व दादा द्वारा बैनामा के दिनांक 03.06.1976 के आधार पर कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 30 बीघा 10 बिश्वा में से 3.2877 हैक्ट. 13 बीघा दिनांक 03.06.1976 हैक्ट. जिलया जाना पूर्ण रूप से असत्य एवं मनगढ़त है। उक्त दस्तावेज कूटरचित बिना हस्ताक्षरित एवं 49 वर्ष पुराना कथित है। जिसके अन्तर्गत कब्जा सम्भलाया जाना कथित है जबकि वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण द्वारा अपने कब्जे का कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही प्रर्याप्त (EXPLAINATION & JUSTIFICATION) कि इतने 49 वर्ष लम्बे अन्तराल तक वादीगण व गोण प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों संबंधित कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की गई। यह दावा इस प्रकार बिना (LIMITATION के कारण) तथा PLEADING में CAUSE OF ACTION अस्पष्ट होने के कारण बिना वादाधर है BARRED BY LIMITATION तथा BARRED BY CAUSE OF ACTION के खारिज योग्य है। (NO SUFFICIENT CAUSE & JUSTIFICATION) वादीगण व गोण प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज मुख्य प्रतिवादीगण के खिलाफ इस संबंध का भी पत्रावली पर पेश नहीं है कि किस प्रकार विरासतन इन्तकाल झूठा दर्ज किया गया है तथा ना ही इस तथ्य कि कोई पुष्टि कि वादीगण व प्रतिवादीगण को किस प्रकार दावा की PLEADING में कथित छल, कपट का पता चला एवं किसी प्रकार मुख्य प्रतिवादीगण के कब्जे स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार गलत रूप से विद्यमान है। इस तरह ना ही कोई वाद अधिकार तथा ना ही कोई वाद कारण CAUSE OF ACTION वादीगण को प्राप्त है। वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण को लगभग 49 साल बाद तथा ILLEGAL AND VOID सेल डीड के आधार पर प्रतिवादीगण की विरासतन कब्जा काश्त हक अधिकारों की (POSSESSION) की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं है तथा अवैध व शून्य है इतने अन्तराल के बाद स्वतः ही यह (PREASUME) किया जा सकता है कि वादीगण व गोण प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त कृषि भूमि पर नहीं है। WITHOUT POSSESSION OF THE LAND तथा TENANCY RIGHTS यह दावा BARRED BY LAW है तथा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अतः आवेदन पत्र नियम 7 रूल 11 पेश कर निवेदन है कि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण को कब्जा व खातेदारी अधिकारी के अभाव में तथा स्वामित्व के निर्धारण की क्षेत्रधिकारिता के संबंध में किसी भी प्रकार से यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र नियम 7 रूल 11 का जवाब में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण द्वारा मुख्य प्रतिवादी संख्या 01 से 33 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट वाके रोही ग्राम कड़वासर जिसमें से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट. दिनांक 03.06.19[illegible] [illegible] बैनामा द्वारा क्रय की गई थी जिसका पंजीयन विधिसम्मत रूप से चूरू [illegible] में हुआ है। क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा [illegible] /अप्रार्थीगण व गोण प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। [illegible] रजिस्ट्रीकृत बैनामा दिनांक 03.06.1976

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

स्वामित्व व कब्जा हक अधिकार हेतु दावा पत्रावली में शामिल किया गया है। वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के गरीब अनपढ़ खेतीहर मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें कानूनी चारागोही एवं प्रावधानों का ज्ञान व जानकारी नहीं होने से रिकॉर्ड में परिवर्तन तथा इन्तकाल संशोधन में विलम्ब हुआ तथा यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि घोषणात्मक दावा की कोई मियाद नहीं होती (RRT 2020 Page 524) इसलिए दावा मियाद बाहर (Barred By Limitation) नहीं है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण को (Cause of Action) वाद आधार बैनामा की पंजीकरण से ही प्राप्त है। दिनांक 03.06.1976 को जब वादीगण व गौण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद की गई थी तथा हक, कब्जा एवं स्वामित्व दिया गया था तब से ही वाद आधार मौजूद है परन्तु जानकारी के अभाव में में अनपढ़ होने के कारण पटवारी द्वारा तहसील से पता करने पर रिकॉर्ड ऑफ राईट के नाम अंकन नहीं होने का ज्ञान हुआ तथा प्रतिवादीगण को जब इन्तकाल दर्ज करवाने का कहा तो दिनांक 19.07.2024 को साफ–साफ इन्कार हो गये। अतः Cause of Action भी वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण के पास मौजूद है। इस प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावे। पंजीकृत बैनामा दिनांक 03.06.1976 एक Legal एवं Valid विधिसम्मत तथा समस्त करों का चुकता कर प्रभावी हो गई डीड है व प्रतिवादीगण यह आरोप है कि बैनामा फर्जी या कूटरचित है इसका कोई कानूनी दस्तावेज या कार्यवाही पत्रावली पर नहीं है ना ही आवेदन के साथ संलग्न है तथा नियम 7 रूल 11 सी.पी.सी. के सिद्धान्त के अनुरूप उक्त कानूनी विवेचना सिर्फ वादी के वाद में लिखे Facts पर होती है प्रतिवादी की Defence इसमें विचार में नहीं ली जा सकती। अतः यह प्रार्थना–पत्र दावा को देरिना करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है इसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वाद की प्रकृति एवं तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वाद को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है जब वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में कोई वादधार (Cause of action) न हो, या वह स्पष्ट रूप से विधिक रूप से अस्वीकार्य हो। प्रतिवादीगण का यह कहना है कि बैनामा कूटरचित है, एक विवादित तथ्य जो सिद्ध करने हेतु साक्ष्य की आवश्यकता है। यह आदेश 7 नियम 11 के तहत विचारणीय नहीं होता, क्योंकि इस प्रावधान के अन्तर्गत केवल वादी के वाद–पत्र में दर्ज तथ्यों को ही आधार माना जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकृत बैनामा, कब्जा का दावा तथा इन्तकाल दर्ज करने से मना किए जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से एक प्रथम दृष्टया वादधार उत्पन्न करता है। यह एक घोषणात्मक वाद है, जिस पर सीमांकन अधिनियमों के प्रावधानों से इतर विचार किया जा सकता है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि यदि कब्जा विवादित है तो इसे साक्ष्य के आधार पर परीक्षण की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वाद को प्रारंभिक चरण में खारिज करना एक अपवादात्मक स्थिति होनी चाहिए। जब वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई भी कानूनी अधिकार अथवा विवाद प्रश्न में हो और जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना हो, तब वाद को इसी चरण पर खारिज नहीं किया जा सकता है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में एक विधिसम्मत बैनामा, कब्जा, इन्तकाल विवाद तथा विरोध किए जाने का स्पष्ट वर्णन है, जिससे यह न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया वादाधार मौजूद है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण [illegible] आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत अस्वीकार किया जाता है।

वाद में प्रतिवादीगण संख्या 2 [illegible] जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें दावा में मद संख्या 1 वादीगण स्वयं [illegible] मद संख्या 2 में वर्णित कथन खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खसरान नम्बर व रकबा वाके रोही तक लिखा होना व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होना तक स्वीकार है शेष कथन मनगढ़त व बनवाटी लिखे होने से दृढ़ता के साथ अस्वीकार किये जाते है जिनका खुलासा विशेष कथन में आगे चलकर किया जावेगा। दावा की मद संख्या 3 गलत लिखी गयी होने से अस्वीकार है। दावा की मद संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अस्वीकार है। दावा की अन्तिम पेश बिना नम्बरी मदात को प्रार्थीगण द्वारा अपने गलत उद्देश की पूर्ति करवाने हेतु दर्ज गई है जो अस्वीकार है। विशेष कथनः खेत खसरा नम्बर 510 / 385 तादादी 7.7269 हैक्ट. वाके रोही कड़वासर जो कि शुरू से ही अर्थात पूर्वजों के समय से ही हम प्रतिवादीगण के पूर्वजों के स्वामित्व व कब्जा की कृषि भूमि चली आ रही है व हम प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा ही उक्त कृषि भूमि का कब्जा अपने स्वामित्व में रखकर काश्त करते रहे है व दुर्गाराम अर्थात हमारे प्रतिवादीगण के पिता व दादा के बाद देहान्त उक्त भूमि जरिये विरासतन इन्तकाल हम प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई थी के पूर्व कभी भी वादीगण द्वारा न तो हम प्रतिवादीगण मौखिक उक्त भूमि पर अपने पिता के द्वारा जरिये विक्रय–पत्र के खरीदशुदा होना बताया न ही कभी कोई चर्चा की जबकि प्रतिवादीगण व वादीगण एक समाज के व्यक्ति चले आ रहे है और वादीगण व प्रतिवादीगण का सामाजिक प्रोग्राम व त्योहार आदि में भी अकसर मिलना शुरू से ही पूर्वजों के समय से रहा है व गली में भी एक दूसरे सम्पर्क में रहे है अर्थात लगभग किसी प्रकार की कभी कोई दूरी नहीं रही है। जिसके चलते वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा भी उक्त विवादित कृषि भूमि के विक्रय पेटे कभी भी कोई कार्यवाही आदि भी नहीं की है। वर्तमान में उक्त भूमि आबादी क्षेत्र के समीप आने व उसकी कीमत बढ़ने के चलते व वादीगण के मन में लालच बैठने की वजह से गलत व निराधार, कूटरचित बिना हस्ताक्षर युक्त विक्रय पेटे काफी पुराना लगभग 48–49 वर्ष पुराना विक्रय–पत्र के आधार वादीगण प्रतिवादीगण जो कि अनपढ़ व गरीब है से उक्त जमीन हथियाने के आधार पर गलत व कूटरचित दस्तावेजात को आधार हथियाने के आधार पर गलत व कूटरचित दस्तावेजात को आधार बनाकर उक्त कृषि भूमि अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाना चाहते है। इस कारण दावा सव्यय खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण व वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त कृषि भूमि विक्रय करना व वर्ष 1976 में विक्रय पत्र निष्पादित होना बताकर वादीगण द्वारा न्यायालय का समय व्यतीत करने के अलावा कोई भी उक्त वाद न्यायालय का समय व्यतीत करने के अलावा कोई भी उक्त वाद का मतलब नहीं निकलता है। यदि विक्रय–पत्र 1976 में निष्पादित होना वादीगण स्वयं जरिये वाद पत्र के न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है तो वादीगण के पिता को अविलम्ब इन्तकाल राजस्व में विक्रय पत्र के आधा पर दर्ज करवाना कानूनन जरूरी रहा है। यदि किसी मजबूरी व कारणवश वादीगण के पिता से भूल हुई है तो वादीगण द्वारा इतने लम्बे अन्तराल पश्चात कैसे याद आया कि उक्त कृषि भूमि में हमारा इन्तकाल दर्ज करवाना है यदि वादीगण अपनी जगह विक्रय पत्र के आधार पर सही होते तो पूर्व ही संबंधित राजस्व कार्मिकों द्वारा वादीगण के पिता या वादीगण का उक्त खसरान में इन्तकाल दर्ज कर देते लेकिन वास्तविकता यह है कि विक्रय पत्र वास्तविक न होकर गलत व कूटरचित है क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा उक्त खसरान में से किसी भी प्रकार की कोई भूमि कभी भी अपने जीवनकाल में विक्रय नहीं की गई थी। मात्र वादीगण लालच से वशीभूत होकर इतना पुराना विक्रय पत्र जो कि गलत व कूटरचित है के आधार पर अपना विरासतन [illegible] दर्ज करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष जरिये वाद पत्र लाया गया है जो कि हर [illegible] कानूनन विपरित है इस कारण दावा सव्यय खारिज योग्य है। [illegible] साथ इतना पुराना गलत विक्रयपत्र के आधार पर गलत रूप से अपना कब्जा व स्वामित्व गलत तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कायम कर प्रतिवादीगण से उनके हिस्सा पान्ति में आई भूमि को उनसे हथियाना चाहते है जबकि कानून में हर चीज का समय निर्धारित है व समय बाधित है इस कारण उक्त दावा काफी पुराने विक्रय पत्र के आधार बनाकर लाया गया है इस कारण दावा सव्यय खारिज योग्य है। वादीगण का उक्त विवादित कृषि भूमि पर कभी भी कोई मौका पर कब्जा काश्त आदि नहीं रहा है उक्त खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का ही राजस्व रिकॉर्ड में अनुरूप कब्जा काश्त है व चला आ रहा है के चलते भी दावा सव्यय खारिज योग्य है मात्र वादीगण प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियति से इतने पुराने व कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर दावा किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य न होकर खारिज योग्य है। अतः जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का दावा इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 33 की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा में निम्नांकित तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गईः–

(1) आया वादगत कृषि भूमि ख. नं. 510/385 कुल तादादी 7.7269 हैक्ट. भूमि में से 3.2877 हैक्ट. रोही कड़वासर भूमि का खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है?

–जिम्मे वादीगण–

(2) आया वादगत कृषि भूमि ख. नं. 510/385 कुल तादादी 7.7269 हैक्ट. भूमि में से 3.2877 हैक्ट. रोही कड़वासर भूमि का खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी नहीं है?

–जिम्मे प्रतिवादी 02 से 33–

दावा में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी चोथूराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम ने उपस्थित आकर साक्ष्य शपथ–पत्र किये जो शामिल पत्रावली किये गये। गवाहों के बयानात लेखबद्ध किये गये। गवाह चोथूराम PW1 से जिरह बकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा की गई जो बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल की गई। शपथ–पत्र के अनुसार उक्त कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू है। जिसमें से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट दिनांक 06.06.1976 को जरिये बैनामा द्वारा क्रय की गई थीं जिसका पंजीयन उप पंजीयक चूरू कार्यालय में करवाया गया है क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व अधिकार मालिकाना निर्बाद्ध रूप से हमारे परिवार का ही चला आ रहा है। कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट. में से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट वाके ग्राम कड़वासर हमारे दादा मालाराम की खरीदशुदा कृषि भूमि हमारे परिवार का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता भरतसिंह द्वारा की गई जिसमें यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है अजखुद कहा आज भी हमारा कब्जा विद्यमान है यह कहना सही है कि प्रदर्श–1 में खातेदार प्रतिवादीगण है यह बात सही है कि हमारे द्वार [illegible] रिपोर्ट दस्तावेज मेरे द्वार पत्रावली पर पेश नहीं है यह सही है कि [illegible] आज तक वादगत कृषि भूमि पर खातेदारी प्रतिवादीगण की है [illegible] है यह कहना सही है कि प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 की [illegible] है। यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज इन्तकाल के विरूद्ध [illegible] कार्यवाही हमारे द्वारा नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कहना गलत है कि आज में झूठे बयान देने आया हूं। जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 से 03 अधिवक्ता श्री आनन्द प्रजापत द्वारा की गई जिसमें यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के पास है यह कहना सही है कि वादगत कृषि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के नाम प्रतिवादीगण का दर्ज है यह कहना सही है कि हमारे द्वारा पत्रावली पर विक्रय—पत्र की मूल प्रति पेश नहीं की गई है। यह कहना सही है कि वादगत कृषि भूमि 1976 से आज तक खातेदारी प्रतिवादीगण के दर्ज चली आ रही है। यह कहना सही है कि 1976 से आज तक प्रतिवादीगण के इन्तकाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही हमारे द्वारा नहीं की गई है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान देने आया हूं। साक्ष्यवादी सीताराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम ने उपस्थित आकर साक्ष्य शपथ—पत्र किये जो शामिल पत्रावली किये गये। गवाहों के बयानात लेखबद्ध किये गये। गवाह चोथूराम PW2 से जिरह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा की गई जो बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल की गई। गवाह चोथूराम PW1 से जिरह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा की गई जो बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल की गई। शपथ—पत्र के अनुसार उक्त कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू है। जिसमें से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट दिनांक 06.06.1976 को जरिये बैनामा द्वारा क्रय की गई थी जिसका पंजीयन उप पंजीयक चूरू कार्यालय में करवाया गया है क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व अधिकार मालिकाना निर्बाद्ध रूप से हमारे परिवार का ही चला आ रहा है। कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट. में से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट वाके ग्राम कड़वासर हमारे दादा मालाराम की खरीदशुदा कृषि भूमि हमारे परिवार का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता भरतसिंह यह कहना गलत है कि वादगत कृषि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है अजखुद कहा आज भी हमारा ही कब्जा विद्यमान है यह कहना सही है कि प्रदर्श—1 में खातेदार प्रतिवादीगण है। यह बात सही है कि हमारे द्वारा कब्जा काश्त संबंधी कोई लिखित रिपोर्ट/दस्तावेज मेरे द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं है। यह सही है कि 1976 से आज तक वादगत कृषि भूमि पर खातेदारी प्रतिवादीगण की है। यह कहना सही है कि प्रदर्श—2, प्रदर्श—3 की मूल प्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज में दर्ज इन्तकाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही हमारे द्वारा नहीं की गई है। यह कहना गलत है कि आज में झूठे बयान देने आया हूं। जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 से 03 अधिवक्ता श्री आनन्द प्रजापत द्वारा की गई जिसमें यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के पास है यह कहना सही है कि वादगत कृषि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के नाम प्रतिवादीगण का दर्ज है यह कहना सही है कि हमारे द्वारा पत्रावली पर विक्रय—पत्र की मूल प्रति पेश नहीं की गई है। यह कहना सही है कि वादगत कृषि भूमि 1976 से आज तक खातेदारी प्रतिवादीगण के दर्ज चली आ रही है। यह कहना सही है कि 1976 से आज तक प्रतिवादीगण के इन्तकाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही हमारे द्वारा नहीं की गई है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान देने आया हूं। वादी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किये जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 3 सांवरमल पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम साक्ष्य हेतु शपथ—पत्र पेश किया जिसमें खेत खसरा संख्या 510/385 तादादी [illegible] हैक्ट. वाके रोही ग्राम कड़वासर जो कि शुरू से ही अर्थात पूर्वजों [illegible] के स्वामित्व व कब्जा की कृषि भूमि चली आ रही है व हमारे [illegible] का कब्जा अपने स्वामित्व में रखकर काश्त करते रहे हैं व दुर्गाराम अर्थात हमारे पिता व दादा के देहान्त के बाद उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि जरिये विरासतन इन्तकाल हम प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई उसके पूर्व कभी भी वादीगण द्वारा न तो हमसे मौखिक उक्त भूमि पर अपने पिता के द्वारा जरिये विक्रय पत्र के खरीदशुदा होना बताया ना ही कभी कोई चर्चा की जबकि हम प्रतिवादीगण व वादीगण एक ही समाज के व्यक्ति चले आ रहे हैं और वादीगण व हम प्रतिवादीगण का सामाजिक प्रोग्राम व त्यौहार आदि में भी अक्सर मिलना शुरू से ही पूर्वजों के समय से रहा है व गली में भी एक दूसरे के सम्पर्क में रहे है अर्थात लगभग किसी प्रकार की कभी भी कोई दूरी नहीं रही है जिसके चलते वादीगण व हमारे पूर्वजों द्वारा भी उक्त विवादित कृषि भूमि के विक्रय पेटे कभी भी कोई कार्यवाही आदि नहीं की है। वर्तमान में उक्त भूमि आबादी क्षेत्र के समीप आने व उसकी कीमत बढ़ने के चलते व वादीगण के मन में लालच आने की वजह से गलत व निराधार, कूटरचित बिना हस्ताक्षर युक्त विक्रय पेटे काफी पुराना लगभग 48–49 वर्ष पुराना विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण हमसे उक्त जमीन हथियाने के आधार पर गलत व कूटरचित दस्तावेज को आधार बनाकर उक्त कृषि भूमि अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाना चाहते हैं। हम प्रतिवादीगण व वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त कृषि भूमि विक्रय करना व वर्ष 1976 में विक्रय पत्र निष्पादित होना बताकर वादीगण द्वारा न्यायालय का समय व्यतीत करने के अलावा कोई भी उक्त वाद का मतलब नहीं निकलता है। यदि विक्रय पत्र सन 1976 में निष्पादित होना वादीगण स्वयं जरिये वाद पत्र के न्यायालय में संज्ञान लाया गया है तो वादीगण के पिता को अविलम्ब इन्तकाल राजस्व में विक्रय पत्रों के आधार पर दर्ज करवाना कानूनी आवश्यक रहा है। यदि किसी मजबूरी व कारणवश वादीगण के पिता से भूल हुई है तो वादीगण द्वारा इतने लम्बे अन्तराल पश्चात कैसे याद आया कि उक्त कृषि भूमि में हमारा इन्तकाल दर्ज करवाना है यदि वादीगण अपनी जगह विक्रय पत्र के आधार पर सही होते तो श्रीमानजी पूर्व ही संबंधित राजस्व कार्मिकों द्वारा वादीगण के पिता या वादीगण का उक्त खसरान में इन्तकाल दर्ज कर देते लेकिन वास्तविकता यह है कि विक्रय पत्र वास्तविक न होकर गलत व कूटरचित है क्योंकि हमारे पिता द्वारा उक्त खसरान में से किसी भी प्रकार की कोई भूमि कभी भी अपने जीवनकाल में विक्रय नहीं की गई थी। मात्र वादीगण लालच से वशीभूत होकर इतना पुराना विक्रय पत्र जो कि गलत व कूटरचित है के आधार पर अपना नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष जरिये वाद पत्र लाये हैं। वादीगण द्वारा सोची समझी सोच के साथ इतना पुराना गलत विक्रय पत्र के आधार पर गलत रूप से अपना कब्जा व स्वामित्व गलत तरीके से काम कर हमसे हमारे हिस्से में आई भूमि को हमसे हथियाना चाहते हैं जबकि कानून में हर चीज का समय निर्धारित है व समय बाधित है इस कारण उक्त दावा पुराने विक्रय पत्र को आधार बनाकर लाया गया है। वादीगण का उक्त विवादित कृषि भूमि पर कभी भी कोई मौके पर कब्जा काश्त आदि नहीं रहा है। उक्त खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर हम प्रतिवादीगणका ही राजस्व रिकॉर्ड में अनुरूप कब्जा काश्त है व चला आ रहा है केवल मात्र वादीगण द्वारा हम प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की नियत से इतने पुराने गलत व कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर गलत दावा किया गया है। उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र में दर्ज तथ्य सही सही दर्ज करवाये हैं जिसमें कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है। जिरह वादी अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी द्वारा की गई। यह खेत विवाद वाले खेत से अलग है। कोई ऐसा विक्रय पत्र नहीं है जो मेरे दादाजी द्वारा करवाया गया है। मेरे दादाजी [illegible] निशानी करते थे। यह शपथ–पत्र मेरे अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है जिस पर मैंने [illegible] ही हस्ताक्षर किये हैं। शपथ–पत्र में क्या–क्या अंकन किया गया [illegible] गलत है कि उक्त कृषि भूमि पर कब्जा हमारा नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान देने आया हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली सीधे बहस में नियत की गई।

10. अधिवक्ता वादी बहस के दौरान दावा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए घोषित किया जावे कि वादीगण एवं गोण प्रतिवादीगण की ओर से दावा व मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण व गोण प्रतिवादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के दादा व पिता जालूराम उर्फ नानूराम की विक्रय–पत्र के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि खसरा नं. 510/385 तादादी 7.7269 हैक्ट. (30 बीघा 10 बिश्वा) वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू को राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय–पत्र दिनांकित 03.06.1976 में खरीदशुदा कृषि भूमि तादादी 3.2877 हैक्ट. (13 बीघा) के आधार पर व कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ही मालिक व स्वामी होने के कारण उन्हें उक्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 33 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने 1976, 1985 के मूल नहीं पेश किया है। 1985 से अब तक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

11. यह वाद वादीगण द्वारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत घोषणा एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि उनके पिता/दादा जालूराम उर्फ नानूराम द्वारा दिनांक 03.06.1976 को विधिवत पंजीकृत विक्रय–पत्र के माध्यम से ग्राम कड़वासर, तहसील एवं जिला चूरू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385 कुल रकबा 7.7269 हैक्टेयर में से 3.2877 हैक्टेयर (13 बीघा) क्रय की गई थी। विक्रय के पश्चात् उक्त भूमि पर कब्जा, काश्त एवं स्वामित्व वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का निरंतर चला आ रहा है। राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण न हो पाने का कारण वादीगण द्वारा अशिक्षा एवं विधिक ज्ञान के अभाव को बताया गया है। बाद में जब प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया गया तो वादीगण को अपने अधिकारों की जानकारी हुई और दिनांक 19.07.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा इन्तकाल सुधारने से मना कर दिया गया, जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 33 ने वाद का विरोध करते हुए कहा कि विवादित कृषि भूमि उनके पूर्वजों की पैतृक भूमि रही है, जिस पर उनका कब्जा व काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण ने विक्रय–पत्र दिनांक 03.06.1976 को कूटरचित एवं फर्जी बताया तथा यह भी कहा कि इतने लम्बे समय तक वादीगण द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उनका दावा असत्य प्रतीत होता है।

वादीगण की ओर से चोथूराम व सीताराम ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर विक्रय–पत्र, कब्जा एवं काश्त का समर्थन किया। यद्यपि जिरह में यह स्वीकार किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है तथा मूल विक्रय–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि पंजीकृत विक्रय–पत्र की प्रमाणित प्रति एवं निरंतर उपयोग–उपभोग का कथन वादीगण के पक्ष को बल प्रदान करता है।

प्रतिवादीगण की ओर से [illegible] साक्ष्य में भी यह स्वीकार किया गया कि विक्रय–पत्र के कूटरचित होने के संबंध में कोई पृथक [illegible] कार्यवाही या निर्णायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

12. पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन के बाद दावा का निर्णय कायम की गई तनकियात् के आधार पर किया जाना उचित मानते निम्नानुसार तनकीवार निर्णय किया गया:—

तनकियात् संख्या 1 पर निर्णय

आया वादगत कृषि भूमि ख. नं. 510/385 कुल तादादी 7.7269 हैक्ट. भूमि में से 3.2877 हैक्ट. रोही कड़वासर भूमि का खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण ने अपने पिता/दादा जालूराम उर्फ नानूराम के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय—पत्र दिनांक 03.06.1976 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित कृषि भूमि में से 3.2877 हैक्टेयर भूमि विधिवत मूल्य चुकाकर क्रय की गई थी। पंजीकृत विक्रय—पत्र विधि की दृष्टि में एक वैध दस्तावेज होता है, जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त न किया जाए। प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय—पत्र को कूटरचित बताया गया है, किन्तु इसके समर्थन में कोई ठोस एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र आरोप से पंजीकृत दस्तावेज की वैधता समाप्त नहीं होती। यह तथ्य भी सामने आया कि वादीगण अशिक्षित होने के कारण समय पर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण नहीं करवा सके। यह स्थापित सिद्धान्त है कि घोषणात्मक वाद पर केवल विलम्ब के आधार पर अधिकार समाप्त नहीं होता, विशेषकर जब विक्रय—पत्र अस्तित्व में हो। अतः वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे कि वे विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा पाने के अधिकारी हैं।

निर्णय : इस प्रकार तनकी संख्या—1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकियात् संख्या 2 पर निर्णय

आया वादगत कृषि भूमि ख. नं. 510/385 कुल तादादी 7.7269 हैक्ट. भूमि में से 3.2877 हैक्ट. रोही कड़वासर भूमि का खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी नहीं है?

प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे कि वादीगण का विक्रय—पत्र फर्जी या कूटरचित है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विक्रय—पत्र के निरस्तीकरण हेतु कोई पृथक वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। केवल यह तथ्य कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, खातेदारी अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता, क्योंकि राजस्व अभिलेख केवल सहायक साक्ष्य होते हैं, स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं।

निर्णय : इस प्रकार तनकी संख्या—2 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

निर्णय

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] किया जाता है। यह घोषित किया [illegible] कि [illegible] और प्रतिवादीगण ग्राम कड़वासर, तह[illegible] खसरा संख्या 510/385, कुल रकबा 7.7269 हैक्टेयर में से 3.2877 हैक्टेयर (13

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बीघा) भूमि के वैध खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 33 का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाकर, वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण का नाम उनके खातेदारी अधिकार के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 78

दर्ज तिथिः–24.07.2024

1. चोथूराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सीताराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोतीलाल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सांवरमल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गणेश कुमार पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मन्जू देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. खेत देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. सोना देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. कालू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. गंगा पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. बबलू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. माया पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. रामकुमार पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

13. ताराचन्द पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. रामेश्वर पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. गुडडी पुत्री परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. विशाल पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. विनित पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. प्रीति पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. सपना पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. पूनम पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. अंजू पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. भंवरलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. गिरधारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. गीता पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
25. सन्तोष पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. मीरा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
27. कमल पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
28. धोलू पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
29. मनीष पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
30. मोहित पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
31. जोनी पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
32. पूजा पुत्री सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

33. रामस्वरूप पुत्र सुमित्रा पुत्रीमनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
34. उप पंजीयक, चूरू तहसील व जिला चूरू
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

..... मुख्य प्रतिवादीगण

36. धन्नी पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
37. सन्तोष पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
38. कप्तान पुत्र तेजाराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
39. राकेश पुत्र तेजाराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
40. पतासी पत्नी महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
41. सुनिता पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
42. सन्जू पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
43. रेखा पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
44. रवि पुत्री महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
45. आर्यन पुत्र महावीर पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
46. मूंगालाल पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
47. सुरेन्द्र पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
48. बिट्टू पुत्र भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
49. ममता पुत्री भगवती पुत्री जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

..... गौण प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

उपस्थित अधिवक्ता
श्री शिवगौतम सोलंकी
श्री भरतसिंह राठौड़

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय दिनांकः–22.01.2026
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 से 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण ग्राम कड़वासर, तहसील एवं जिला चूरू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 510/385, कुल रकबा 7.7269 हैक्टेयर में से 3.2877 हैक्टेयर (13 बीघा) भूमि के वैध खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 33 का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाकर, वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण का नाम उनके खातेदारी अधिकार के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested